

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
संकल्प

विषय:- औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु वैशाली जिला अन्तर्गत कुल रकबा- 1243.45 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण हेतु प्रक्रियाधीन भूमि में से 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) की स्थापना हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरण की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा उक्त के भूमि चयन पर अन्तिम निर्णय हेतु निदेशक पर्सद, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना को प्राधिकृत किये जाने के संबंध में।

बिहार राज्य भारत के प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों में से एक है, जहाँ विविध कृषि उत्पादों की प्रचुरता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। वही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग न केवल कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करता है, बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में भी सहायक होता है।

उल्लेखनीय है कि फूड टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की रीढ़ है। यह न केवल गुणवत्ता, सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करती है, अपितु मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन तथा निर्यात वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाती है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, जिसका उद्देश्य देश में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को तकनीकी, प्रबंधकीय और उद्यमिता के माध्यम से सशक्त बनाना है। वर्तमान में NIFTEM कैम्पस देश के दो राज्यों- हरियाणा एवं तमिलनाडु में अवस्थित है तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार में भी NIFTEM कैम्पस की स्थापना हेतु लगातार अनुरोध किया जा रहा है।

2. बिहार राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) का कैम्पस स्थापित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राज्य में प्रचुर कृषि उत्पादन (फल, सब्जियाँ, अनाज, मखाना आदि) होने के बावजूद खाद्य प्रसंस्करण का स्तर अभी भी सीमित है। NIFTEM कैम्पस की स्थापना से स्थानीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे कुशल मानव संसाधन विकसित होगा और फूड प्रोसेसिंग उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।

3. बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु वैशाली जिला अन्तर्गत कुल रकबा- 1243.45 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक- 10.01.2025 में मद संख्या- 43 के रूप में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है

4. औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु वैशाली जिला अन्तर्गत कुल रकबा-1243.45 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण हेतु प्रक्रियाधीन भूमि में से 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM)की स्थापना हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरण की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा उक्त के भूमि चयन पर अन्तिम निर्णय हेतु निदेशक पर्सद, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना को प्राधिकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उपर्युक्त कंडिका-04 पर दिनांक-13.05.2026 की मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या-08 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि बिहार सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(डॉ प्रेरणा सिंह)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-..... पटना/दिनांक-.....

5/स० बियाडा (भूमि अधिग्रहण SAIL) - 06/2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभागों/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-..... पटना/दिनांक-.....

5/स० बियाडा (भूमि अधिग्रहण SAIL) - 06/2025

प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

2

11

ज्ञापांक-..... पटना/दिनांक-.....

5/स० बियाडा (भूमि अधिग्रहण SAIL) - 06/2025

प्रतिलिपि- सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं०-201, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-..... पटना/दिनांक-.....

5/स० बियाडा (भूमि अधिग्रहण SAIL) - 06/2025

प्रतिलिपि- निदेशक, MSME निदेशालय, बिहार, पटना / उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/ सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, प्रशाखा-01 (स०), उद्योग विभाग/ अवर सचिव, प्रशाखा-11, उद्योग निदेशालय/सहायक उद्योग निदेशक, लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-..... पटना/दिनांक-.....

5/स० बियाडा (भूमि अधिग्रहण SAIL) - 06/2025

प्रतिलिपि-प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना/प्रबंध निदेशक, आयडा, पटना/समाहर्ता, वैशाली/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-..... पटना/दिनांक-.....

5/स० बियाडा (भूमि अधिग्रहण SAIL) - 06/2025

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-...25.15.....

पटना/दिनांक-...24.05.26

5/स० बियाडा (भूमि अधिग्रहण SAIL) - 06/2025

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

